1/112036/2023

संख्या–112036/XXVIII-3-2023-E File No.48902

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),**
   उत्तराखण्ड शासन।
2. **महानिदेशक,**
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. **मुख्य कार्यकारी अधिकारी,**
   राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण,
   उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2023

विषय–प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1256/XXVIII(3)/2021-04/2008 T.C, दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना (SGHS) के अन्तर्गत चिकित्सकीय उपचार को प्रभावी बनाये जाने हेतु शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नानुसार प्रावधानों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

1. आयुष पद्धति से उपचार की दशा में बीमारी/दवाओं (Diagnostic and Medicine) का परीक्षण CGHS दरों पर निदेशक, आयुर्वेद/होम्योपैथ/यूनानी/सिद्धा/नेचुरोपैथी से सत्यापन के उपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के प्रस्तर–12 के अनुसार लाथार्थी को प्रतिपूर्ति की जायेगी।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों को सेवा के अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन सम्मिलित करते हुए चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का समयबद्ध रूप से निस्तारण किये जाने हेतु लाभार्थी से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे प्राप्त किये जाने/परीक्षण/भुगतान हेतु सम्बन्धित अधिकारी को संदर्भित किये जाने हेतु सभी स्तरों पर जैसे–कार्यालयाध्यक्ष/स्वीकृर्ता अधिकारी/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी/राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा **संलग्नक–1** में उल्लिखित समय–सीमा के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
   I. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड उक्त शासनादेश दिनांक 25.11.2021 के प्रस्तर–14 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 में परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर हेतु सम्बन्धित अधिकारियों

को **संलग्नक–1** के अनुसार समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करेंगे।

II. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर बीजकों के परीक्षण हेतु प्रतिहस्ताक्षरर्ता अधिकारी को संदर्भित किये जाने से पूर्व **संलग्नक–2** में उल्लिखित चेक–लिस्ट के अनुसार प्रारूप का मिलान एवं आवश्यक अभिलेखों / सक्षम स्वीकृतकर्ता अधिकारी स्तर से प्राप्त अनुमोदन की जांच की जायेगी और प्रकिया पूरी होने पर ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे को अग्रेत्तर संदर्भित किये जायेंगे।

III. दरों का राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के स्तर पर पुनः परीक्षण नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत दावों का भुगतान किया जायेगा।

IV. दावों का भुगतान CGHS के दरों के इतर होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रमाणितकर्ता अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

V. इस हेतु सभी सम्बन्धित विभाग जहां चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का प्रतिहस्ताक्षर / परीक्षण / भुगतान इत्यादि की कार्यवाही की जानी है, को आगामी 15 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाईन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. ऐसे राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्य जो इस योजनान्तर्गत पात्र हैं तथा उनका उपचार के दौरान / क्लेम के समय मृत्यु होने की स्थिति में गोल्डन कार्ड नहीं बन पाया, ऐसे लाभार्थियों का भुगतान कार्मिक / पेंशनरों के आई0डी0 पर सुनिश्चित किया जायेगा।

4. राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के सम्बन्ध में लाभार्थियों की शिकायतों के समयबद्ध रूप से निस्तारण हेतु पृथक से सुविचारित लोक शिकायत निवारण की प्रकिया का निर्धारण किया जायेगा।

2– उक्त वर्णित शासनादेश दिनांक 25 नवम्बर, 2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

Signed by R. Rajesh Kumar
Date: 31-03-2023 22:49:27

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार)
सचिव।

<u>संख्या– /XXVIII-3-2023-E File No.48902, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आयुष विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आंयुक्त, कुमाऊं मण्डल / गढ़वाल मण्डल, नैनीताल / पौड़ी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

I/112036/2023

8. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 / एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Amandeep Kaur
Date: 01-04-2023 09:23:43
(अमनदीप कौर)
अपर सचिव।

संलग्न–2

चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/चैक लिस्ट

1. अनिवार्यता प्रमाण पत्र–शासनादेश दिनांक– 25.11.2021 के द्वारा जारी किये गये अनिवार्यता प्रमाण पत्र के सभी कालम यथा चिकित्सक का नाम, रोगी का नाम, रोग का नाम उपचार अवधि (उपचार प्रारम्भ से समाप्ति की तिथि), उपचार पर हुये व्यय की शुद्ध धनराशि (बिल वाउचर्स के अनुसार) आदि समस्त सूचनायें अनिवार्य रूप से अंकित होनी चाहिये।
2. अनिवार्यता प्रमाण पत्र उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक से मय मुहर (नाम/पदनाम) सहित हस्ताक्षरित तथा उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक (Medical Suprintendent) से प्रतिहस्ताक्षर कराने उपरान्त ही प्रस्तुत किया जाय।
3. अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर यदि ओवर राईटिंग/व्हाईटनर का प्रयोग कर कोई भी संशोधन किया गया हो तो उक्त अनिवार्यता प्रमाण पत्र को उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक अथवा चिकित्सालय के प्राधिकृत चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक (Medical Suprintendent) से सत्यापित करवाकर उपलब्ध कराया जाय।
4. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में उपचार अवधि के अन्तर्गत के समस्त बिल वाउचर्स मूल रूप में ही स्वीकार्य होगें, उपचार के सापेक्ष चिकित्सक अथवा चिकित्सालय को किये गये भुगतान की रसीदे प्रतिपूर्ति हेतु मान्य नही होंगी साथ ही उपचार अवधि से इतर के बिल/वाउचर्स को प्रतिपूर्ति हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।
5. चिकित्सालय में अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार से सम्बन्धित भर्ती अवधि का Final Summary Bill के साथ उपचार का Detailed Bill भी उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक से मय मुहर सहित सत्यापित/हस्ताक्षरित करवाकर परीक्षण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
6. उपचार से सम्बन्धित समस्त मूल बिल वाउचर्स उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक से मय मुहर सहित सत्यापित/हस्ताक्षरित होने चाहिये। उपचार से सम्बन्धित बिल वाउचर्स की छायाप्रतियां/सत्यापित छायाप्रतियां प्रतिपूर्ति हेतु मान्य नही होंगी।
7. चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे के साथ उपचार से सम्बन्धित समस्त चिकित्सकीय परामर्श अभिलेख जैसे ओ0पी0डी/आई0पी0डी0 पर्चे, Case Summary/Discharge Summary अथवा मरीज की उपचार के दौरान मृत्यु की स्थिति के सम्बन्ध में Death Summary आदि अभिलेखों की छायाप्रतियां संलग्न की जानी अनिवार्य होगी।
8. उपचार से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा शासनादेश दिनांक 25.11.2021 के प्रस्तर–15 में निहित प्राविधानों/शर्तों के अनुसार समस्त अभिलेखों सहित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/ प्रशासकीय विभाग/स्वीकृत कर्ता अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) को उपचार समाप्ति के छः माह के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य

होगा। उसके पश्चात् प्राप्त ऐसे चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को सम्बन्धित मूल विभाग के स्तर पर ही कालातीत घोषित कर दिया जायेगा।

9. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 के प्रस्तर–03 में उल्लेखित प्राविधानानुसार राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति की अनुमन्यता के सम्बन्ध में परिवार एवं आश्रित की परिभाषा तथा आयुसीमा वही होगी जो उत्तराखण्ड सेवानिवृत्त लाभ अधिनियम 2018 में उल्लिखित है, के अनुसार ही कार्मिकों/पेंशनर्स के आश्रितों के अनुमन्य चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण ही परीक्षण /प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही हेतु प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारियों को प्रेषित किये जायें।

10. कार्मिकों/पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही हेतु मूल विभाग–कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रशासकीय विभाग/स्वीकृत कर्ता अधिकारी (जैसी भी स्थिति हो) के स्तर से ही प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को प्रेषित किये जायेगें। कार्मिक/पेंशनर्स द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे/प्रकरण सीधे प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत नही किय जायेगें।

11. कार्मिकों/पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 एवं उपरोक्त उल्लेखित चैक लिस्ट/दिशा–निर्देश के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने का दायित्व कार्मिक/पेंशनर्स के मूल विभाग का होगा। उपरोक्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने के उपरान्त ही कार्मि/पेंशनर्स के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही हेतु प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी को सन्दर्भित किये जाय।

संलग्न-1

क0	अधिसूचित की जाने वाली सेवा का नाम	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय-सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	अभियुक्ति
1	राजकीय कार्मिक /पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख तक की सीमा के दावों का परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर	जिला/उप जिला चिकित्सालय के प्रभारी अधिकारी /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/इस हेतु नामित अधिकारी।	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि-10 कार्य दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा-निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण /प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि-30 कार्य दिवस।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	मण्डलीय निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल	यदि किसी कार्मिक/पेंशनर्स अथवा उनके मूल विभाग के स्तर से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा-निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण न की गयी हो तो उस स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि को गणना में नहीं लिया जायेगा।
2	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रू0 1.50 लाख से 3.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल एवं कुमांउ मण्डल।	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि-10 कार्य दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	यदि किसी कार्मिक/पेंशनर्स अथवा उनके मूल विभाग के स्तर से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा-निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण न की गयी हो तो उस स्थिति में

			शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें परीक्षण /प्रतिहस्ताक्षर हेतु निर्धारित समयावधि–30 कार्य दिवस।			चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि को गणना में नहीं लिया जायेगा।
3	राजकीय कार्मिक/पेंशनर्स के धनराशि रू0 3.00 लाख से अधिक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षर	निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।	1. शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/शर्तों (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें अपूर्ण होने पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा सम्बन्धित विभाग को वापस प्रेषित किये जाने की समयावधि–10 कार्य दिवस। 2. जिन चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण हों उनमें दावा प्राप्ति के निम्न समयावधि अनुसार परीक्षण/प्रतिहस्ताक्षरित की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। • धनराशि रू0 3.00 से रू0 5.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि–40 कार्यदिवस।	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।	सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	➢ यदि किसी कार्मिक/पेंशनर्स अथवा उनके मूल विभाग के स्तर से किसी चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण में शासनादेश दिनांक 25.11.2021 में निहित प्रावधानों/जारी दिशा–निर्देश (चैक लिस्ट) के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण न की गयी हो तो उस स्थिति में चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि को गणना में नहीं लिया जायेगा। ➢ यह भी उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में 3.00 लाख से अधिक असीमित सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण परीक्षण /प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्राप्त

			• धनराशि रू0 5.00 लाख से 10.00 लाख तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि–55 कार्यदिवस। • रू0 10.00 लाख से अधिक तक की सीमा के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे हेतु समयावधि–70 कार्यदिवस।			होते हैं। कतिपय दावे ऐसे भी होते हैं जिनकी धनराशि 30 लाख से 70 लाख तक की सीमा के होते हैं। ➢ SGHS योजना में सम्मिलित समस्त राजकीय कार्मिक / पेंशनर्स अतिरिक्त अन्य सेवाओं जैसे–अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, मा0 विधानसभा सदस्यों, पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, निगम / निकायों एवं स्वायत्ता प्राप्त संस्थानों / विश्वविद्यालयों के कार्मिक / पेंशनर्स तथा उत्तराखण्ड राज्य के सेवानिवृत्त पेंशनर्स जो अन्य प्रदेशों में निवासरत है तथा वहीं से पेंशन प्राप्त कर रहें हैं के चिकित्सा प्रतिपूर्ति प्रकरण भी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में परीक्षण / प्रतिहस्ताक्षर की कार्यवाही हेतु प्राप्त होते हैं।